न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या 09/2011

बउनवान

भगवती देवी आयु 69 साल पत्नि हरसहाय मीणा जाति मीणा निवासी पेनावदा ग्राम पंचायत बाल्दा व केलवाडा तहसील शाहाबाद, जिला बारां (राज0)

(निगराकार)

बनाम

1. किशनलाल पुत्र जगन्नाथ जाति अहेडी, निवासी पेनावदा केलवाडा तहसील शाहाबाद
2. ग्राम पंचायत बाल्दा जर्ये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत बाल्दा, तहसील शाहाबाद, जिला बारां (राज0)
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहाबद/नायब तहसीलदार केलवाडा

(गैरनिगराकारान)

न्यायालय जिला कलैक्टर बारां (राज0)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :- 1. श्री लक्ष्य भारद्वाज, अभिभाषक (निगराकार)

2. श्री राजेन्द्र सुमन अभिभाषक (गैर निग. क्रम-1)

निर्णय दिनांक 02.12.2022

निगराकार द्वारा यह निगरानी इस आशय की पेश की गई है कि ग्राम पंचायत बाल्दा पंचायत समिति शाहबाद द्वारा गैरनिगराकार क्रम 1 के नाम 13500 वर्गफीट का जारी पट्टा दिनांक 30.05.1991 अवैध, शून्य एवं मनमाना होने से निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत बाल्दा के पास पट्टा जारी करते समय 13500 वर्गफीट की आबादी भूमि ही नही थी। बिना आबादी भूमि के उक्त पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नही है। उक्त पट्टा मात्र 30 /- रूपये पर जारी होना बताया गया है। जबकि सन् 1991 में उक्त आवंटित भूमि की कीमत 2.00 लाख रूपये से कम नही थी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित डी.एल.सी दर से भी उक्त भूमि की कीमत दो लाख रूपये होती है। पट्टे में जिला कलक्टर की आज्ञा दि0/राजस्थान सरकार की आज्ञा दिनांक के सभी कॉलम रिक्त है। उक्त भूमि के साथ जो नक्शा दिया गया है वह निगराकार भगवतीदेवी की आराजी खसरा नंबर 71 खातेदारी की भूमि का है। खसरा नं. 71 ग्राम पेनावदा, खसरा नं. 72 व 160 के साथ भगवती देवी की खातेदारी का है। खातेदारी की किसी भूमि का ग्राम पंचायत को आवासीय पट्टा देने का कोई अधिकार नही है और न किसी व्यक्ति की खातेदारी भूमि का पट्टा दिया जा सकता है जो सीमायें पट्टे में बताई गई है उसकी कोई भूमि ग्राम पंचायत बाल्दा में नहीं है और न कभी रही है। ग्राम पंचायत बाल्दा के रेकार्ड मे भी उक्त भूमि सन् 1991 से पूर्व या बाद में कभी भी आवासीय भूमि नहीं रही है। उक्त पट्टा जारी करने के लिए राज. पंचायत जनरल रूल्स तत्समय के 1961 की कोई पालना नहीं की गई है। नियमानुसार नियम 260 में [illegible] री होना नियम 261 के तहत आपत्तियां प्राप्त करना व नियम 262 के तहत निला[illegible] मि विक्रय किए जाने का प्रावधान है जिसकी कोई पालना नहीं गई है। उक्त विक्रय के [illegible] कृति ली गई है और न अन्य नियमों की पालना की गई है। [illegible] पट्टा जारी करना कहा [illegible] है जबकि नियम 266 की पालना नहीं की गई है। इस संबंध में न तो ग्राम पंचायत के कोरम [illegible] ई प्रस्ताव लिया गया और न कोई कार्यवाही हुई है और ना कोई सु[illegible] यी हुई है। अप्रार्थी क्रम [illegible] सरपंच से मिलीभगत कर पटटे पर जो सील लगाई गई है वह कोटा जिले की है जबकि 30.05.1991 को बारां जिला अस्तित्व मे आ चुका था वस्तुतः कोटा जिले की मोहर सरपंच के पास रही तथा उसने छलपूर्वक अप्रार्थी क्रम 1 को अनुचित लाभ पहुचाने के लिए पिछली तारीख मे अप्रार्थी क्रम 1 के नाम पटटा जारी कर दिया है जो स्पष्टतया कानून एवं नियमों का उल्लंघन है। राजस्थान पंचायत जनरल रूल्स

जिला कलक्टर बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.12.23 17:56:14 IST
Reason: SelfAttested

1951 में 251 से लेकर 269 तक इस संबध में नियम हैं। यह पट्टा बारां शिवपुरी मार्ग से लगवा जारी किया गया है जबकि नियम 269 के अनुसार इस प्रकार का पट्टा जारी नही किया जा सकता। बारां शिवपुरी रोड पर रोड से लगवा खसरा नं. 71 याचिकाकर्ता भगवतीदेवी की खातेदारी की भूमि है, जिसे विवादित बनाने एवं जिस पर अनावश्यक रूप से कब्जा कराने के आश्य से पटटा जारी किया गया है जिसका कोई विधिक मूल्य नहीं है। अतः निगरानी निगराकार स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगराकार कम 1 के नाम ग्राम पंचायत बाल्दा में दिनांक 30.05.1991 को जारी पटटा/भूमि विकलेख/विक्रय विलेख 13500 वर्गफीट को अवैध, शून्य घोषित कर निरस्त किया जाकर अप्रार्थीगण को आदेशित किया जावे कि वे याचिकाकर्ता के खाते की भूमि खसरा नंबर 71, 72 एवं 108 में किसी प्रकार का निर्माण न करे और न करावें।

निगरानी पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगराकारान को तथा ग्राम पंचायत बाल्दा का रेकार्ड तलब किया गया।

गैर निगराकार क्रम 1 ने जर्ये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी ने यह अंकित नही किया है कि 13500 वर्गफीट भूमि किस दिनांक को अप्रार्थी क्रम 1 के नाम जारी किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व कब्जे को नियमित करके अपने वैद्य अधिकारों के अन्तर्गत वैद्य कार्यवाही की है। वस्तुतः प्रार्थी अप्रार्थी के मध्य कोई विवाद नही है। प्रार्थी पूर्व विधायक, प्रभावी राजनेता है, राज्य सरकार का मंत्री रहा है, अपने पद व प्रभाव का प्रयोग कर प्रार्थी उत्तरदाता के तनहा कब्जे की भूमि को हडपना चाहता था इस बदनियति से प्रयत्न किया, विवश होकर अप्रार्थी उत्तरदाता ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश (वरि0 खण्ड) शाहाबाद के यहां कार्यवाही की दिनांक 16.11.2011 को न्यायालय ने प्रार्थीया के पति हरसहाय मीणा व खुद अनिल मीणा को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया कि विवादित भूमि बी.एच.जी.सी बिन्दुओं की पर पत्थर डालकर जबरन कब्जा नही करेगे, उक्त आदेश दिनांक 16.11.2011 के बाद प्रार्थी के पास अन्य उपचार शेष नही रहे, तो यह निगरानी प्रार्थी को परेशान करने की गरज की पेश की जो निरस्तनीय है। सरपंच से प्रार्थी की कभी कोई मिलीभगत नही रही है। अप्रेल 1991 से बारां जिला के रूप में वैद्य कार्यवाही नही हुई थी, इस कारण 30.05.1991 की मोहर कोटा जिले के नाम से दर्शायी गयी है। यह कृत्य ग्राम पंचायत ने किया है। अप्रार्थी ने सभी पट्टाधारियों को 30.05.1991 को कोटा जिला अंकित मोहर से ही पटटे दिये गये है। अप्रार्थी ने कोई छल नही किया है। ग्राम पंचायत ने गरीब आदमी को कृषि प्रयोजनार्थ खलियान एवं भूमि के उपयोग उपभोग के निमित्त कब्जे का प्रमाण पत्र दिया है, आवासीय प्रयोजनार्थ अप्रार्थी वर्तमान में भूमि का उपयोग भी नही कर रहा है। वर्तमान में भी अप्रार्थी भूमि पर खलियान डाल रहा है। बारां शिवपुरी राजमार्ग से लगवा भगवतीदेवी की भूमि 200 फीट के अन्दर है, भगवतीदेवी व अप्रार्थी के भूखण्ड के बीच गोपी कुशवाह की भूमि है। अप्रार्थी कभी भगवतीदेवी की भूमि पर कब्जा नही करेगा। अप्रार्थी ने भगवतीदेवी के पति के विरूद्ध न्यायालय में सक्षम वाद पेश कर निषेधाज्ञा प्राप्त की हुई है, स्वयं भगवतीदेवी व उसका पति अप्रार्थी की भूमि को हडपना चाहते है। निगरानी अन्दर मियाद न होने से निरस्तनीय है। इस न्यायालय को यह कार्यवाही सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अतः निगरानी सव्यय निरस्त फरमावें।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

बार बार लिखें जाने के उपरान्त तथा विकास अधिकारी पंचायत समिति शाहाबाद द्वारा ग्राम पंचायत बाल्दा में उक्त रिकार्ड [illegible] नही होने की ताहीद करने पर हमने प्रकरण अन्तिम बहस हेतु नियत किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.12.23 17:56:14 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभिभाषक निगराकार ने [illegible] में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि निगराकार के खाते की भूमि में से ग्राम पंचायत बाल्दा द्वारा गैर निगराकार के नाम पट्टा जारी किया जिसका रेकार्ड भी ग्राम पंचायत बाल्दा में उपलब्ध नहीं है। गैर निगराकार क्रम 1 के पक्ष में जारी पट्टा अपूर्ण एवं अपंजीकृत है। जारी पट्टे पर मोहर कोटा जिले की है जबकि पट्टा जारी किये जाने से पूर्व बारां जिला प्रभाव में आ गया था। गैर निगराकार क्रम 1 के पक्ष में जारी पट्टा पंचायत की भूमि का नहीं है तत्समय ग्राम पंचायत के पास 13500 वर्गफुट आबादी भूमि नहीं थी। गैर

निगराकार का 20 वर्ष तक उक्त भूमि पर कब्जा नहीं रहा। उक्त पट्टा प्रचलित नियमों के तहत जारी नहीं किया गया है। पट्टा जारी करने से पूर्व उद्घोषणा जारी कर आपत्तियां प्राप्त की जानी थी तथा भूमि की नीलामी की जाकर पट्टा जारी किया जाना चाहिये था उक्त प्रक्रिया नहीं की गई। अतः गैर निगराकार क्रम 1 के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 30.05.1991 निरस्त फरमावें।

दौराने बहस अभिभाषक गैर निगराकार क्रम 1 ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत बाल्दा द्वारा पूर्ण कानूनी प्रकिया अपनाकर गैर निगराकार क्रम 1 के पक्ष में दिनांक 30.05.1991 को जारी किए गये पट्टे की चर्तुसीमाओं में निगराकार की खाते की भूमि नहीं आ रही है। निगराकार पूर्व मंत्री की पत्नि है। जो अपने प्रभाव से गैर निगराकार के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त करवाकर गैर निगराकार की उक्त आराजी पर कब्जा करने पर आमादा है। गैर निगराकार द्वारा इस बाबत न्यायालय सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शाहाबाद में निगराकार के पति व पुत्र के विरूद्ध वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया था जो प्रकरण संख्या 02/2009 निर्णय दिनांक 16.11.2011 से डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया गया है। निगराकार के पति व पुत्र द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम 1 बारां में प्रस्तुत अपील संख्या 15/2011 निर्णय दिनांक 18.01.2020 से खारिज हुई। इसी बीच निगराकार द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद में प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए. के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. में पारित निर्णय दिनांक 15.03.2013 के विरूद्ध न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के अपील संख्या 114/2013 में पारित निर्णय दिनांक 16.02.2017 से निगराकार की अपील खारिज की गई। इस प्रकार किसी भी न्यायालय द्वारा निगराकार का कोई अधिकार नहीं माना गया। अतः निगरानी निरस्त फरमावें।

रिपीटल में अभिभाषक निगराकार ने कथन किया कि सिविल व राजस्व न्यायालयों में निगराकार द्वारा प्रस्तुत कार्यवाहियां स्थायी निषेधाज्ञा बाबत की गई थी। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगराकार क्रम 1 के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 30.05.1991 निरस्त फरमावें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत निगरानी भूमि आबादी की नहीं होने, कोरम में प्रस्ताव नहीं लेने व पट्टा खसरा नंबर 71 में जारी करने के आधार पर पट्टा निरस्त करने हेतु पेश की गयी। उक्त पट्टे से संबंधित पत्रावली प्राप्त नहीं हुई जिससे यह साबित हो सके कि कोरम का प्रस्ताव नहीं लिया गया। भूमि आबादी की नही होने बाबत एवं पट्टा खसरा नंबर 71 में जारी किये जाने बाबत कोई दस्तावेज/प्रमाण निगराकार द्वारा भी पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया। गैर निगराकार क्रम 1 द्वारा निगराकार के पति हरसहाय के विरूद्ध सिविल न्यायालय में प्रस्तुत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद स्वीकार किया गया जिसमें तनकी नं. 1 में माना कि "विवादित प्लॉट वादी किशनलाल को उसके पुराने कब्जे के आधार पर ग्राम पंचायत बाल्दा द्वारा दिनांक 30.05.1991 को जारी पट्टा प्रदर्श 1, 150x90 फिट का आवंटित किया गया था जिस पर वादी का पत्थरों का कोट हो रहा है और वादी इस विवादित प्लॉट का वैध स्वत्वधारी व आधिपत्यधारी होकर कब्जा चला आ रहा है।" अतः निगराकार को उक्त भूमि पर कब्जा कर निर्माण नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया है। इसकी अपील भी माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधी[illegible] 01.2020 से खारिज की गई है।

उपरोक्त विवेचन अनुसा[illegible] होना पाये जाने से खारिज की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.12.23 17:56:14 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 02.12.2022 को लिखाया [illegible]कर सरे इजलास सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर
बारां (राज०)